भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1212**

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः व्यापारियों द्वारा कपास और धान के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देना**

**1212. श्री जय प्रकाश:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कपास और धान के किसानों के सामने आ रही समस्या की जानकारी है क्योंकि विशेषकर हरियाणा राज्य में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने से मना कर देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे वादे के अनुसार खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अगले एक वर्ष में कितनी वृद्धि करने का विचार है और तत्संबंधी फसलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा धान की फसल के भंडारण हेतु क्या कार्यान्वयन प्रक्रिया है और तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए किए जा रहे सुव्यवस्थित उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री**

**(श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा सहित संपूर्ण देश के लिए कपास और धान सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी संचालन के तहत धान की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसके तहत सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण, ऑनलाइन भूमि/फसल सत्यापन और किसान के बैंक खाते में एमएसपी का प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान (डीबीटी) के शुभारंभ से इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता प्राप्त हुई है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2024-25 (दिनांक 05.01.2025 तक) के दौरान हरियाणा राज्य से 53.72 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद की गई है, जिसके लिए

एमएसपी मूल्य रु.12,463.32 करोड़ का भुगतान किया गया है। इससे 3.1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

जब कभी भी कपास के बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाते हैं, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास की खरीद की जाती है। वर्तमान विपणन मौसम 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने हरियाणा के 9 जिलों में 21 कपास खरीद सहित सभी कपास उत्पादक राज्यों के 152 जिलों में 507 से अधिक खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया गया। दिनांक 05.02.2025 तक, सीसीआई ने हरियाणा से लगभग 2 लाख क्विंटल कपास (0.38 लाख गांठ के समतुल्य) की खरीद की है और 135 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे 7000 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार 22 अधिदेशित फसलों के लिए उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक तक संवर्धित एमएसपी की घोषणा करती है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान हरियाणा सहित संपूर्ण देश के किसानों को प्राप्त खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ग): केएमएस 2024-25 (खरीफ) के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से प्रगति पर है और दिनांक 05.02.2025 तक केंद्रीय पूल के लिए की गई धान की खरीद की राज्य-वार मात्रा का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(घ): किसानों को वहनीय और आसान संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय पर अपनी ऋण की वापसी अदायगी करने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष तक कम हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अतिरिक्त) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है। वर्ष 2014-2024 तक विगत 10 वर्षों के दौरान, एमआईएसएस के तहत किसानों को ब्याज अनुदान के रूप में 1.45 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

**अनुबंध I**

**दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध**

**खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)**

(फसल वर्ष के अनुसार) (रू . प्रति क्विंटल)

| क्र.सं . | जिंस | किस्म | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 की तुलना में 2024-25 में एमएसपी में वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| | **खरीफ फसलें** | | | | |
| **1** | **धान** | सामान्य | 2183 | 2300 | 117 (5.4) |
| | | ग्रेड 'ए' | 2203 | 2320 | 117(5.3) |
| **2** | **ज्वार** | हाईब्रिड | 3180 | 3371 | 191(6.0) |
| | | मालदंडी | 3225 | 3421 | 196(6.1) |
| **3** | **बाजरा** | | 2500 | 2625 | 125(5.0) |
| **4** | **रागी** | | 3846 | 4290 | 444(11.5) |
| **5** | **मक्का** | | 2090 | 2225 | 135(6.5) |
| **6** | **तूर (अरहर)** | | 7000 | 7550 | 550(7.9) |
| **7** | **मूंग** | | 8558 | 8682 | 124(1.4) |
| **8** | **उड़द** | | 6950 | 7400 | 450(6.5) |
| **9** | **मूंगफली** | | 6377 | 6783 | 406(6.4) |
| **10** | **सूरजमुखी बीज** | | 6760 | 7280 | 520(7.7) |
| **11** | **सोयाबीन (पीला)** | | 4600 | 4892 | 292(6.3) |
| **12** | **तिल** | | 8635 | 9267 | 632(7.3) |
| **13** | **रामतिल** | | 7734 | 8717 | 983(12.7) |
| **14** | **कपास** | मध्यम रेशा | 6620 | 7121 | 501(7.6) |
| | | लंबा रेशा | 7020 | 7521 | 501(7.1) |

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

**अनुबंध II**

**दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध**

| **क्र. सं.** | **राज्यों के नाम** | **खरीदे गए धान की मात्रा (एलएमटी में)** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 21.08 |
| 2 | तेलंगाना | 53.95 |
| 3 | असम | 1.75 |
| 4 | बिहार | 28.14 |
| 5 | चंडीगढ़ | 0.26 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 104.48 |
| 7 | गुजरात | 0.35 |
| 8 | हरियाणा | 53.72 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0.37 |
| 10 | झारखंड | 0.11 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 0.33 |
| 12 | केरल | 1.47 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 43.53 |
| 14 | महाराष्ट्र | 8.54 |
| 15 | ओडिशा | 48.47 |
| 16 | पंजाब | 173.33 |
| 17 | त्रिपुरा | 0.17 |
| 18 | तमिलनाडु | 9.44 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 54.83 |
| 20 | उत्तराखंड | 6.73 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 21.92 |
| | **कुल** | **632.97** |

******